माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र. पंजी/कोड़/2017/3130 दिनांक 15/11/2017

जनवरी 2018 से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के लिये आवश्यक प्रशिक्षण सूचना

विश्वविद्यालय के अध्ययन संस्थाओं तथा विद्यार्थिओं के पंजीयन, परीक्षा फार्म, माइग्रेशन, डिग्री आवेदन, टयूशन फीस, नवीनीकरण शुल्क, पुनर्मूल्यांकन फार्म और अन्य शुल्क जमा करने हेतु ऑन लॉईन की व्यवस्था है, इसके संचालन के लिये एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड, भोपाल से अनुबंध किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संस्थाओं को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन फार्म भेजने के लिये व्यवस्था की गई है, पुराने सभी संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन के लिये पंजीयन करा लिया गया है। **इसी तारतम्य में नई सभी संस्थाओं को ऑनलाईन व्यवस्था की आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20/11/2017 को प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय के बी–38, विकास भवन परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल** में आयोजित किया गया है, जिसमें आप अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें। इस संदर्भ में जानकारी तथा महत्व निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। कृपया उन्हें ध्यान से पढकर उनके अनुसार कार्यवाही करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पुर्व संस्था को एम.पी.ऑनलॉईन रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रूपये 1000/– है जो ऑनलॉईन के माध्यम से भुगतान कर एम.पी.ऑनलाईन में कियोस्क आई.डी. (KIOSK – ID)/ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कियोस्क आई.डी. बनाने के लिये www.mcu.ac.in or www.mcnujc.ac.in अथवा एम.पी.आनलॉईन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर जाकर बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण में शामिल होने वाला व्यक्ति तकनिकी जानकारी समझने वाला होना चाहिये ताकि वह ऑनलाईन प्रक्रिया को भलि–भॉति समझ सके। संस्थाओं को यात्रा व्यय एवं ठहरने की व्यवस्था का स्वयं करनी होगी। एम.ऑनलाईन पर संपर्क हेतु दूरभाष क्र. 0755–4019400 है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये शुल्क राशि रूपये 1000/– है जो कुलसचिव मा.च.रा.प. एवं सं. वि.वि., भोपाल के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट लेकर आना अनिवार्य है।

जानकारी हेतु संपर्क :–

1. श्री दीपक शर्मा, निदेशक (संबद्ध अध्ययन संस्थाऐं) – दूरभाष क्र. 0755–2572538
2. श्री राजेश पाठक, परीक्षा नियंत्रक – दूरभाष क्र. 0755–2574536

(दीपक शर्मा)
निदेशक
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

प्रतिलिपि :–

1. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प. एवं सं. वि.वि., भोपाल को सूचनार्थ।
2. वित अधिकारी, मा.च.रा.प. एवं सं. वि.वि., भोपाल को सूचनार्थ।
3. श्री अभय कर्ण, बिजनेस हेड, एम.पी. ऑनलाईन लिमिडेड को सूचनार्थ।

(दीपक शर्मा)
निदेशक
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

एमसीआरपीवी के नए अध्ययन संस्थानों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाएं

माखनलाल विश्वविधालय के अध्ययन **संस्थानों** को एम.पी.ऑनलाइन अधिकृत किओस्क के रूप में पंजीकृत करने हेतु दिशानिर्देश: शुल्क राशि रूपये 1000/– (राशि रूपये एक हजार मात्र)

चरण -1: एमपीऑनलाइन साइट (https://mcrpv.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना अध्ययन केंद्र रजिस्टर करें अपनी वैध मेल आईडी और फोन नंबर का उल्लेख करें क्योंकि उनका उपयोग आगे के सभी संचार के लिए किया जाएगा ।

चरण -2: एमपीऑनलाइन ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्रों को मान्य करेंगा । आवेदन के सत्यापन के बाद, अध्ययन केंद्र एसबीआई शाखा में एक नेट बैंकिंग सुविधा के साथ खाता खोलेंगे (यदि एसबीआई शाखा में नेट बैंकिंग सुविधा के साथ खाता पहले से मौजूद है, तो आवश्यक नहीं है) जिसके माध्यम से एमपीऑनलाइन कियोस्क को रिचार्ज करेंगे ।

चरण -3: पंजीकरण के सफल अनुमोदन के बाद, अध्ययन केंद्र एमपीऑनलाइन पोर्टल (https://mcrpv.mponline.gov.in) में लॉगिन करने के लिए अपना स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड (जिला नाम का अध्ययन केंद्र कोड, जैसे ; BHOPAL9999) बना सकते है।)। यदि आपने यूजर आईडी अध्ययन केंद्र कोड के साथ नहीं बनाया है तो आपको लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी।

चरण -4: अध्ययन केंद्र को अपने खाते में कुछ राशि से टॉप-उप करना आवश्यक होगा, जिसके उपरांत ही वह पोर्टल के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविधालय की ऑनलाइन सेवाएं देने में सक्षम होंगे।